प्रेस विज्ञप्तिः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–15 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 21.10.2015 को वादी हाशीम पुत्र हमीद नि0 सलेमपुर भुकडी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर की पुत्र वधु खुर्शीदा बेगम की अज्ञात अभियुक्त द्वारा हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0स0 383/15 धारा 302 भादवि में थाना को0देहात पर पंजीकृत किया गया था बाद विवेचना अभियुक्त जुल्फान (मृत्का का पति) पुत्र हाशिम नि0 सलेमपुर भुकडी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 183/16 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–15 स0पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने स्तर से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–15 स0पुर द्वारा दिनांक 15.02.21 को अभियुक्त जुल्फान पुत्र हाशिम को मु0अ0स0 383/15 धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस विज्ञप्तिः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–06 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये के

अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 23.09.2013 को वादिया श्रीमती सायरा पत्नी इकराम नि0 मौ0 संगयान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की पुत्री कहकशॉ को अभियुक्त बब्बू उर्फ रिहान पुत्र जमशैद नि0 मोहल्ला शीराजान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा जला कर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0स0 277सी/2013 धारा 302,120बी भादवि में थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 332/2014 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–06 स0पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–06 स0पुर द्वारा दिनांक 15.02.21 को अभियुक्त बब्बू उर्फ रिहान पुत्र जमशैद को मु0अ0स0 277सी/2013 धारा 304 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट दिनाक 16.02.2021

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्तों को नाजायज चरस सहित किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है, कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर व श्रेत्राधिकारी सदर, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15-02-2021 को समय 15:35 बजे थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 02 अभि0 1-सुभाष पुत्र सुमेरचन्द निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा, सहारनपुर 2-राशिद पुत्र इस्लाम निवाली ग्राम नसीरपुरा थाना सरसावा, सहारनपुर को आल्हनपुर तिराहा के पास से 240 ग्राम चरस नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 33/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 34/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस.एक्ट पंजीकृत कर अभि0गणो को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता:-

1-सुभाष पुत्र सुमेरचन्द निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

2-राशिद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम नसीरपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1-240 ग्राम नाजायज चरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1.उ0नि0 अनिल कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

2.का0 647 संजीव कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

3. का0 1924 प्रताप सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा लावारिस हालत में मिली एक पांच वर्षीय बच्ची को उसके माता पिता के किया सुपुर्द, परिजनो ने पुलिस का किया धन्यवादः-

अवगत कराना हैं, कि आज दिनांक 16-02-2021 को समय करीब 11:00 बजे एक बच्ची उम्र करीब 05 वर्ष लावारिस हालत में कस्बा छुटमलपुर में ज्योति किरण तिराहे के पास रोती हुई घूम रही थी, तभी है0का0 257 दीपक कसाना, जो कस्बा छुटमलपुर में डियूटीरत थे, कि नजर बच्ची पर पड़ी जो उसको लेकर थाना फतेहपुर पर आये। थाने पर नियुक्त महिला आरक्षी 434 अल्पना भारती द्वारा काफी प्रयास करने के बाद उस बच्ची से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अन्नू पुत्री सुशील निवासी ग्राम मानकमऊ थाना देवबन्द, सहारनपुर बताया। जिस पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा उक्त बच्ची के घर पर सम्पर्क कर अन्नू उपरोक्त को उसके माता-पिता के सुपुर्द किया गया। जिस पर बच्ची के माता-पिता द्वारा पुलिस का धन्यवाद किया गया।

<u>प्रेस नोट</u>

थाना सदर बाजार सहारनपुर पुलिस द्वारा एक अभि0 को एक किलो डोडे के साथ किया गिरफ्तारI

अवगत करना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे पुलिस अधीक्षक नगर एव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के पर्यवेक्षण मे अपराधियो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना प्रभारी सदर बाजार के नेतृत्व मे थाना सदर बाजार पुलिस के द्वारा चैकिग/गस्त के दौरान दिनांक 16/02/2021 को समय करीब 10.30 बजे मुखबिर खास की सूचना पर कब्रस्तान काजीपुरा नवादा रोड के पास खाली पडे प्लाट से एक नफर अभि0 सुमित कुमार उर्फ बन्दरी पुत्र संजय सिह निवासी अभिषेक नगर नवादा रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर

को एक किलो डोडा सहित गिरफ्तार किया गया है I

<u>नाम पता अभियुक्त:-</u>

सुमित कुमार उर्फ बन्दरी पुत्र संजय सिह निवासी अभिषेक नगर नवादा रोड थाना सदर बाजार स0पुर I

<u>अभियुक्तगण के कब्जे से बरामदगी का विवरण:-</u>

1- एक किलो डोडा पोस्त चूर्णI

<u>गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/टीम के नाम :-</u>

1. उ0नि0 श्री के0पी0 सिह थाना सदर बाजार स0पुरI
2. का0 1164 अनुज कुमार थाना सदर बाजार स0पुरI
3. का0 1266 रवि कुमार थाना सदर बाजार स0पुरI